लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया। ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2015-16 के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2015-16 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	लाख रुपये में
ब्याज और अन्य आय	314.93
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	84.59
व्यय से अधिक आय	230.34
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% पर छूट	47.24
अगले पांच वर्षों में सामान्य जनोपयोगी उद्देश्यों के लिए निर्धारित शेष राशि	183.10
कुल	230.34

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12ए.ए. के तहत 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट का अधिकार देता है। शेष 85% सकल आय में से, अनपेक्षित राशि कर के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत पांच साल के साथ भविष्य के खर्चों के लिए अलग-अलग सेट नहीं किया जाता है। अभी तक वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कोई आयकर देयता नहीं है ।

श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच) फरवरी, 2013 से दिनांक 29-9-2015 तक एन.सी.सी.डी निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री पी. शकील अहमद, संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच) ने दिनांक 23-10-2015 से दिनांक 22-9-2017 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री पवनेष कोहली, कोल्ड-चेन उद्योग के विशेषज्ञ फरवरी, 2014 से एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं । दिनांक 31-3-2016 तक नौ पद भरे गए थे ।

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- एन.सी.सी.डी द्वारा विकसित "कोल्ड-चेन घटकों(कंपोनेंटस) में क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तथा न्यूनतम सिस्टम मानक" को अनिवार्य मानकों के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो वर्ष 2010 में विकसित पिछले मानकों को अधिक्रमित करता है ।

- इस अविधि में एन.सी.सी.डी ने एम.आई.डी.एच की परियोजना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत परियोजनाओं के मूल्यांकन में सहायता जारी रखी । एन.सी.सी.डी ने कोल्ड-चेन हेतु सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनाइज्ड) रिपोर्टिंग सिस्टम प्रदान की, जिसे एन.बी.एच द्वारा आई.सी.ए.पी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया था ।

- एन.सी.सी.डी ने कोल्ड-चेन आधारिक संरचना में स्टेट्स और अंतराल का आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन पूरा किया । मंत्रालय द्वारा "अखिल भारतीय कोल्ड-चेन आधारिक संरचना क्षमता अध्ययन (स्टेट्स एवं अंतराल का मूल्यांकन)" स्वीकार किया गया था और इसे योजना के हस्तक्षेप(प्लानिंग इंटरवेशन्स) के संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है ।

- टोल फ्री रिफर वाहन कॉल-इन सेंटर(आर.वी.सी.) को अपने संचालन में बाधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रांसपोर्टरों के लिए अवसर प्रदान करना जारी रखा गया था ।

- एन.सी.सी.डी ने अपने सार्वजनिक आउटरीच और कोल्ड-चेन में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता बढ़ाई है और वैश्विक स्तर पर भोजन की हानि को कम किया है । एन.सी.सी.डी को यू.के. के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस विषय पर बहस करने और एफ.ए.ओ. तथा यू.एन.ई.पी द्वारा आयोजित हेग में भोजन अपशिष्ट(फूड वेस्ट) पर वैश्विक शिखर सम्मेलन (ग्लोबल समिट) में कार्यशालाओं को चेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया था । एन.सी.सी.डी ने भारत की कोल्ड-चेन में अधिक जागरूकता और रूचि पैदा करने में सहायता की है ।

- एन.सी.सी.डी ने फलों के पकने पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यशालाएं जारी रखीं और इस वर्ष 2391 लोगों के लिए 66 प्रशिक्षणों को पूरा किया । कार्यशालाएं कोल्ड-चेन तकनीक पर आधारित थी और कोल्ड-चेन प्रबंधन ने राज्य सरकार और उद्योग के 60 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया । इन्हें एन.सी.सी.डी को एम.आई.डी.एच की राष्ट्रीय स्तर एजेंसी(एन.एल.ए) के रूप में वार्षिक कार्ययोजना में किए गए आबंटन से किया गया है ।

- कोल्ड-चेन में ज्ञान प्रसार के तहत विभिन्न अन्य कार्यशालाओं और सेमीनारों का आयोजन किया गया । एन.सी.सी.डी ने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान(एन.आई.ए.एम) में विद्यार्थी अध्याय(स्टूडेंट चेप्टर) शुरू करके विद्यार्थी परस्पर संवाद को भी बढ़ाया।

- मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विभिन्न पहलों में एन.सी.सी.डी एक सक्रिय योगदानकर्ता है। एन.सी.सी.डी कृषि और सहकारिता विभाग का समर्थन कर रहा है और एन.सी.सी.डी की

58

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2016 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने 21.12.2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों

को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।